# फर्द अहकाम

कालूराम बनाम रामलाल

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर [ प्रा. पत्र टी. आई. ]

केस संख्या 36/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 22/11/24 | निर्धारित अधिकतम समयावधि (30 दिवस) भी पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण सं. 01, 04 की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही कोई प्रार्थना पत्र टी. आई. का किसी भी मान्य / औपचारिक स्तर पर कोई खंडन अथवा कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अतः अप्रार्थीगण सं. 01, 04 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27/11/24 को पेश हो। <br> सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर <br> मुख्यालय-जयपुर | |
| | 27/11/24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र टी. आई. पर सुनी गई। <br> प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी की ओर से वाके ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की सहखातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 686 लगायत 692 कुल खसरा किता 07 कुल रकबा 1.79 है. के सन्दर्भ में बाई मीट्स एंड बाउण्ड्स विधिक विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की सहखातेदारी की उक्त उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन हेतु प्रस्तुत वादपत्र एवं उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन होने तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र टी. आई. के संदर्भ में जवाब अथवा उक्त संदर्भ (टी. आई.) | |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O

# फर्द अहकाम

कालूराम बनाम रामलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 36/2024 [ प्रा. पत्र टी. आई. ]

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 27/11/24 | में किसी प्रकार की उज्र आपत्ति हेतु अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए जाने व नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी. आई. का किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में कोई समुचित / औपचारिक खंडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति ही प्रस्तुत की गई है जबकि प्रकरण अविभाजित सहखातेदारी अनुसार भूमि के विधिक विभाजन मात्र से सम्बन्धित है। जिससे वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भूमि को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टी. आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक उल्लेखित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 686 लगायत 692 कुल खसरा किता 07 कुल रकबा 1.79 है. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। <br> हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र टी. आई. पर सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की ओर से स्वयं की अविभाजित सहखातेदारी की भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। साथ ही भूमि के विधिक विभाजन होने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र टी. आई. प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम / संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.07.24 को पारित किया गया है। जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति अथवा कोई समुचित / औपचारिक खंडन व जवाब किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद विधिवत प्राप्ति नोटिस व जानकारी के न्यायालय | |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:09 IST
Reason: SelfAttested

# फर्द अहकाम

कालूराम बनाम रामलाल

**नाम न्यायालय** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

**केस संख्या** 36/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष |
|---|---|---|---|
| | 27/11/24 | दावा में उपस्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके है। अतः चूंकि प्रकरण में किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा किसी भी मान्य/समुचित स्तर पर वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई खंडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई अन्य आपत्ति अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है तथा न्यायहित व वादबहुलता के दृष्टिगत भी भूमि वादग्रस्त को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित समझते है। अतः न्यायहित व वादबहुलता के दृष्टिगत तथा प्रकरण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अन्य आपत्ति व समुचित खंडन के अभाव के आधार पर पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.07.24 को तार्फैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम सिरोही तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 686 लगायत 692 कुल खसरा किता 7 कुल रकबा 1.79 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इन्तकाल रहन/विरासत नामांतकरण के सन्दर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।<br>निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>ह०<br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:09 IST
Reason: SelfAttested